निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 81/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

यूको बैंक शाखा फुलेरा जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

रामेश्वर बलाई पुत्र श्री सांवल राम बलाई निवासी ग्राम पोस्ट कोरसीणा तहसील फुलेरा जिला जयपुर।

अप्रार्थी ऋणी

जिला मजिस्ट्रेट (कलेक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः– प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि उपस्थित है।

आदेश दिनांक 12-9-2019

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को 17.08.2010 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी रामेश्वर बलाई पुत्र श्री सांवल राम बलाई के स्वामित्व की सम्पत्ति स्थित ग्राम पोस्ट कोरसीण तहसील फुलेरा जिला जयपुर क्षेत्रफल 208 को बन्धक कर कर कुल 3,50,000/–रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 03.08.2018 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी ऋणी उपस्थित नहीं हुआ।
3. बैंक प्रतिनिधि को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 03.08.2018को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद अप्रार्थी ऋणी द्वारा बकाया ऋण राशि का भुगतान नहीं किया गया । अप्रार्थी ऋणी द्वारा धारा 13 (2) के नोटिस की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में अप्रार्थी रामेश्वर बलाई पुत्र श्री सांवल राम बलाई के स्वामित्व की बन्धक सम्पत्ति ग्राम पोस्ट कोरसीण तहसील फुलेरा

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

जिला जयपुर क्षेत्रफल 208 का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5. आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।

6. आदेश आज दिनांक 12-9-2019 को सरे इजलास सुनाया गया !

(जयरूप सिंह यादव)

जिला मजिस्ट्रेट

(कलक्टर) जयपुर